-29-
Publishing

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना अधिकार प्रकोष्ठ)
पंजी. क्रमांक 140
दिनांक 30.7.08

संख्या-1/12/2007-आई.आर.

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: 31 जुलाई, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत लोक प्राधिकरणों की सूची तैयार करना।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

i) भारत सरकार के स्तर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग के रूप में मान्यता दी गई है। इस नोडल विभाग के पास उन सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की पूरी सूची होनी चाहिए जो लोक प्राधिकरणों के रूप में कार्य करते हैं।

ii) प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग के पास भी उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी लोक प्राधिकरणों की सुविस्तृत सूची होनी चाहिए। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत आने वाले लोक प्राधिकरणों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है : (i) संवैधानिक निकाय (ii) लाइन एजेन्सियां (iii) सांविधिक निकाय (iv) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (v) कार्यकारी आदेश के अंतर्गत सृजित निकाय (vi) सरकार के स्वामित्व वाले, सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा भरपूर वित्तपोषित निकाय, और (vii) सरकार द्वारा भरपूर वित्तपोषित गैर सरकारी संगठन । प्रत्येक श्रेणी के अंदर सभी लोक प्राधिकरणों की अद्यतन सूची रखी जानी है।

iii) प्रत्येक लोक प्राधिकरण के पास उसके अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकरणों का ब्यौरा होना चाहिए। यह अंतिम स्तर तक जारी रहनी चाहिए। ये सभी ब्यौरे संबंधित लोक प्राधिकरणों की वेबसाइटों पर पदसोपान रूप में उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

iv) राज्यों द्वारा भी एक ऐसी ही प्रणाली अपनाई जानी चाहिए।

सरकार ने उपर्युक्त सिफारिशों पर विचार किया है और इन्हें स्वीकार करने का निर्णय लिया है। सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की सूची आर.टी.आई. पोर्टल (www.rti.gov.in) पर पहले ही डाली जा